अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

अधिग्रहण वाद सं0– ~~33/2014~~ 01/2015

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,मढौरा,सारण)

बनाम

अज्ञात

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेपी, तारीख–सहित
12.01.2015	अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा,सारण के पत्रांक 2836 दिनांक 31.12.2014 के द्वारा संलग्न कर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पानापुर के द्वारा प्रेषित अधिग्रहण संबधित प्रस्ताव के साथ संलग्न कागजातों(प्राथमिकी, जप्ती सूची, एवं जिम्मेनामा) की छायाप्रति का अवलोकन किया। प्रतिवेदन से यह विदित होता है कि दिनांक 14.12.14 को गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम–पंचायत–धेनुकी, प्रखंड–पानापुर में छापामारी के दौरान पिकअप वैन संख्या–BR04M-7342 पर 55 पैकेट (27.50 क्विंटल) चावल कालाबाजारी के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था, जिसे जप्त कर जप्त सामग्रियों को श्री रामनरेश सिंह,ज0वि0प्र0 विक्रेता पंचायत–धेनुकी को सुरक्षित रखने हेतु दिया गया तथा वाहन को स्थानीय थाना को जिम्मेनामा पर सुपुर्द किया गया। अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्व 7 EC के अंतर्गत पानापुर थाना कांड संख्या 168/2014 दिनांक–16.12.14 दर्ज किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के पत्रांक 2836, दिनांक 31.12. 2014 के द्वारा जप्त खाद्यान्न एवं जप्त वाहन के अधिग्रहण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। चूंकि जप्त खाद्यान्न नष्ट होने वाला पदार्थ है, इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 (ए–2) के अन्तर्गत उचित दर पर विक्री हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण को प्राधिकृत किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण को आदेश दिया जाता है कि यदि किसी व्यवहार न्यायालय के आदेश के प्रतिकूल नहीं हो तो वे जप्त खाद्यान्न को जप्ती सूची के अनुसार डाक के द्वारा विक्री कराकर विक्रय राशि को जिला	

कोषागार में उचित शीर्ष में जमा कराकर अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 29.01.2015 तक भेजना सुनिश्चित करेगें।

थानाध्यक्ष पानापुर को निर्देश है कि पानापुर थाना कांड संख्या 168/14, दिनांक–16.12.14 से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन(अभियुक्त की गिरफ्तारी, आरोप पत्र दाखिल करना आदि) आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक 7EC सारण, छपरा से अनुरोध है कि वे उक्त थाना कांड से संबंधित वाद के माननीय न्यायालय में दाखिल होने के पश्चात् उसकी प्रगति के संबंध में पाक्षिक प्रतिवेदन भेजने का कष्ट करेंगे ताकि समय–समय पर तदनुसार यथोचित आदेश पारित करने की कार्रवाई की जा सकें। **अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा,सारण के माध्यम से सभी संबंधित को इस आदेश का तामिला कराया जाए।**

अभिलेख 29.01.2015 को प्रस्तुत किया जाए।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 33/न्या० दिनांक 13/01/2015

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि संलग्न आदेश का तामिला संबंधित को कराकर तामिला प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि – थानाध्यक्ष, पानापुर से निदेशानुसार अनुरोध है कि उक्त थाना कांड से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए।

प्रतिलिपि – जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन० आई० सी०, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के website पर upload करने हेतु प्रेषित।

13/1/15
वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
13/1/15 सारण, छपरा।